

दिनांक आज्ञा
या कार्यवाही

आज्ञा विस्तृत रूप से

अस्थायी - निषेधाज्ञा में प्रायना - पत्र
अन्तर्गत धारा 151 CPC लगाया
हुआ है। जो अर्जेंट प्रकृति का है।
पत्रावली दिनांक 11/3/24 को नियत है।
जो अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण
दिनांक 30/4/24 को नियत की गई है।

अतः प्रायना पत्र शीघ्र सुनवाई
का प्रयास किया जाकर मूलवाद
एवं प्रायना - पत्र वास्तव अस्थायी
निषेधाज्ञा उन्वानी गिरजि बनारस
दुलसीराम प्रकरण सं. 201/2019 को
आज दिनांक 15/4/24 को सुनवाई पर
किया जाता है।

पत्रावली के तहत शुमार
दोकर दर्ज नम्बर ले कम ही

21
उपखण्ड अतिरिक्त
उपखण्ड, बाकसू (15/4/24)